उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 5231 /77–4–2023
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2023

मैसर्स आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लि0, नोएडा — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण — विपक्षीगण

मैसर्स आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लि0, नोएडा द्वारा उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत याचिका दिनांक 21.07.2023 प्राधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरूद्ध दायर की गयी है।

प्रकरण में दिनांक 25.08.2023 को दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी। प्रकरण निम्नवत् हैः–

संस्थागत भूखण्ड संख्या–4, सेक्टर–142 का आवंटन आई.टी./आई.टी.ई.एस. परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 04.04.2006 को मैसर्स फ्रीलुक साफ्टवेयर प्रा0लि0 के पक्ष में किया गया। परन्तु इकाई को पट्टा विलेख दिनांक 30.03.2012 को निष्पादित किया गया तथा आवंटी को कब्जा दिनांक 19.06.2014 को दिया गया। दिनांक 08.11.2019 को मैसर्स फ्रीलुक साफ्टवेयर प्रा0लि0 का ट्रांसफर/मर्जर होल्डिंग कम्पनी मैसर्स आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लि0 के पक्ष में किया गया।

प्राधिकरण का यह कथन है कि शासन द्वारा निर्गत अध्यादेश दिनांक 28.07.2020 यथासंशोधित दिनांक 07.01.2022 तथा औद्योगिक विकास विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2022 व शासन की अधिसूचना संख्या–300(2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-3-2022, दिनांक 03.06.2022 के अनुसार इकाई को कार्यशील करने की अवधि 31.12.2022 थी और उक्त अवधि तक इकाई को क्रियाशील करने हेतु सशुल्क समयावृद्धि प्रदान की गयी थी। आवंटी द्वारा उपरोक्त समयावृद्धि में इकाई को कार्यशील नहीं किया जा सका। अतः इनका आवंटन निरस्त करने विषयक आदेश दिनांक 05.07.2023 को निर्गत किया गया है।

मैसर्स आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लि0 का यह कथन है कि प्रश्नगत प्लाट का आवंटन मैसर्स फ्रीलुक साफ्टवेयर प्रा0लि0 के पक्ष में दिनांक 04.04.2006 को किया गया, परन्तु उसका कब्जा 08 वर्षों के बाद 19.06.2014 को दिया गया है। इसमें लगभग 600 वर्गमीटर का कब्जा दिसम्बर, 2015 में दिया गया है। इकाई द्वारा प्राधिकरण से दिनांक 22.05.2021 को अपना मैप अप्रूव कराने के बाद मौके पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है और अभी तक लगभग 55 करोड़ रूपये प्रोजेक्ट की कुल लागत रू.160 करोड़ के सापेक्ष मौके पर इन्वेस्ट किया जा चुका है।

कम्पनी 90 वर्ष पुरानी एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका हेड क्वाटर नोएडा में ही स्थित है तथा कम्पनी का टर्न ओवर रू. 6400 करोड़ है एवं फार्चुन–500 में इसका रैंक 253 रहा है। कम्पनी द्वारा 4,000 लोगों को सीधा सेवायोजित किया गया है तथा 3,000 लोग इन्डायरेक्टली सेवायोजित हैं। कम्पनी द्वारा भूखण्ड का पूर्ण प्रीमियम राशि अदा किया जा चुका है। विगत वर्षों में आई.टी., आई.टी.ई.एस. सेक्टर में रिशेसन एवं कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से दिनांक 31.12.2022 तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी दिसम्बर,

2025 तक प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए समय की मांग की है। याची कम्पनी द्वारा मौके पर चल रहे कार्य के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए हैं।

शासन की अधिसूचना संख्या–300(2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-3-2022, दिनांक 03.06.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के पैरा–7 में कतिपय प्रोविजन इन्सर्ट किए गए हैं, जिसमें पैरा–(c) यह कहता है कि लीज डीड एक्सक्यूट होने से 08 वर्ष की अवधि अथवा ऐसे निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए समय जो भी अधिक हो और जो 28.07.2020 को समाप्त हो गया हो। पैरा–(d) यह कहता है कि आवंटी को 31.12.2022 के 3 माह पूर्व प्राधिकरण द्वारा इस आशय का नोटिस दिया जाना चाहिए कि यदि दिनांक 31.12.2022 तक निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है तो अन्यथा क्या परिणाम होंगे, इसमें आवंटी को अवगत कराया जाए।

उपरोक्त नोटीफिकेशन के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त यदि आवंटी 31.12.2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करता है तो 31.12.2022 को आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

इस प्रकरण में भूखण्ड के एक हिस्से का सप्लीमेन्ट्री लीज डीड 31.07.2015 को हुआ है तथा वहॉ से 8 वर्ष जोड़ा जाए तो वह 30.07.2023 को पूर्ण होता है। यह शर्त इस प्रकरण में पूर्ण नहीं होती है। इसी तरह दिनांक 31.12.2022 के 03 माह पूर्व आवंटी को नोटिस भी दिया जाना चाहिए, जबकि इस केस में नोटिस 19.01.2023 को दिया गया है। इस प्रकार पैरा–डी पर अंकित शर्त भी पूर्ण नहीं होती है। लीज डीड निष्पादन से 8 वर्ष पूर्ण होने की अवधि 30.07.2023 के पूर्व ही प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उपरोक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया है, जो कि शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 03.06.2022 के प्राविधानों के विपरीत है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या–4, सेक्टर–142 के विषय में पारित आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 05.07.2023 को निरस्त किया जाता है। प्लाट का आवंटन निःशुल्क पुनः स्थापित किया जाता है। आवंटी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 30 दिसम्बर, 2025 तक की समयावृद्धि सशुल्क प्रदान की जाएगी। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्याः–5231(1)/77–4–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लि0, ए–4, से0–24, नोएडा–201301 उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।